

प्रेस नोट थाना - नवाबगंज

दिनांक :- 29.12.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को चोरी की गयी 04 बैटरी के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त अंकुर पुत्र रामरतन यादव निवासी व थाना जसरथपुर जिला एटा हाल पता ग्राम हरदुआ थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ को थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 333/2025 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 04 अदद बैटरी के साथ गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01.अंकुर पुत्र रामरतन यादव निवासी व थाना जसरथपुर जिला एटा हाल पता ग्राम हरदुआ थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का विवरण:- थाना नवाबगंज पुलिस फोर्स द्वारा रात्रि गश्त व संदिग्ध वाहन व व्यक्ति चैकिंग के दौरान थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 333/2025 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित माल 04 अदद बैट्री के साथ 01 नफर अभियुक्त अंकुर पुत्र रामरतन यादव निवासी व थाना जसरथपुर जिला एटा हाल पता ग्राम हरदुआ थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद को गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने अभियुक्त अंकुर उपरोक्त ने बताया कि साहब कल की रात्रि में मैंने नवाबगंज कस्बा से एक रिक्शा से बैट्री चोरी करके छिपा दी थी आज उन बैट्रियों को लेकर बेचने के लिये ले जाने के लिए रोड पर खड़े होकर वाहन का इन्तजार कर रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया। साहब मुझसे गलती हो गयी है। शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

बरामदगी का विवरण:- 04 अदद बैट्री क्रमश:-

- 1-Amaron की बैटरी नं0 9ac1648y101685
- 2-Amaron की बैटरी नं0 9ac1648y101188
- 3-Amaron की बैटरी नं0 9ac1648y101148
- 4-Amaron की बैटरी नं0 9ac1648y101134

अभियुक्त अंकुर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 333/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 167/2024 धारा 379/41/411 भादवि थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।
3. मु0अ0सं0 58/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।
4. मु0अ0सं0 63/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना अलीगंज जिला एटा।
5. मु0अ0सं0 118/2022 धारा 411/414 भादवि थाना जसरथपुर जनपद एटा।
6. मु0अ0सं0 213/2019 धारा 41 सीआरपीसी थाना जसरथपुर जनपद एटा।

गिरफ्तार करने वाली थाना नवाबगंज पुलिस टीम:-

1. व0उ0 नि0 गीतम सिंह
2. का0 सुधांशू चौहान
3. का0 अरविन्द कुमार
4. का0 अनिल कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट-कोतवाली फर्रुखाबाद

दिनांक :- 29.12.2025

कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 155/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मोहम्मद उवैस खान उर्फ शैजी पुत्र मो0 निसार खान नि0 मोहल्ला खैराती खाँ कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

1. मोहम्मद उवैस खान उर्फ शैजी पुत्र मो0 निसार खान नि0 मोहल्ला खैराती खाँ कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 28.12.2025 को कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा गश्त व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मोहम्मद उवैस खान उर्फ शैजी पुत्र मो० निसार खान नि० मोहल्ला खैराती खाँ कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त मोहम्मद उवैस उपरोक्त ने पूछताछ पर अपनी सफाई अपने वकील के जरिये मा० न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त मोहम्मद उवैस खान उर्फ शैजी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 813/2017 धारा 307/323/504/506 भादवि० कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. मु०अ०सं० 155/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर
2. 01 अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम-

1. उ० नि० इमरान फरीद
2. का० मलिखान सिंह
3. का० मनोज कुमार
4. का० गौरव कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



#ऑपरेशन मुस्कान

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा 15 वर्षीय गुमशुदा बालक को 24 घण्टे के भीतर सकुशल बरामद कर परिवारीजनों को सुपुर्द किया गया।



थाना कम्पिल

आवेदक श्री अमरनाथ पुत्र राजाराम निवासी मो० मांझगाव पूर्व थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ द्वारा अपने 15 वर्षीय पुत्र के नाराज होकर बिना बताये घर से चले जाने के सम्बन्ध में थाना कम्पिल व डायल 112 पर सूचना दी गयी थी, प्राप्त सूचना पर थाना कम्पिल पुलिस द्वारा टीम गठित कर ऑपरेशन मुस्कान के तहत त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के पुत्र उम्र करीब 15 वर्ष जो घर वालों से किसी बात पर नाराज होकर अपनी बुआ के घर चला गया था को सूचना प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। परिजनों व आमजनमानस द्वारा फतेहगढ़ पुलिस की तत्परता की भूरि भूरि प्रशंसा की गयी।



@fatehgarhpolic



fatehgarhpolic

मीडिया सेल फतेहगढ़।



मिशन शक्ति 5.0



थाना कमालगंज





मिशन शक्ति 5.0



कोतवाली कायमगंज



Fatehgarhpolice



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



महिला थाना



#Fatehgarhpolice



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



कोतवाली मोहम्मदाबाद



#Fatehgarhpolice



मिशन शक्ति 5.0



कोतवाली फतेहगढ़



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



कोतवाली फरुखाबाद



#MissionShakti



मिशन शक्ति 5.0



थाना नवाबगंज





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना मऊदरवाजा





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना कादरीगेट



मिशन शक्ति 5.0



थाना राजेपुर





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना शमसाबाद



मिशन शक्ति 5.0



थाना जहानगंज

